फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एक्सिस बैंक लि., रजिस्टर्ड कार्यालय त्रिशुल–3rd फ्लोर, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात–380006, क्षेत्रिय कार्यालय – जी–9, महिमा त्रिनिटी मॉल, 3 एफ–24, स्वेज फार्म, न्यु सांगानेर रोड़, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी पार्थ मदान पुत्र श्री प्रमोद मदान। **– प्रार्थी**

बनाम

1. मैसर्स बायण मिनरल्स प्राईवेट लि0 जरिये प्रोपराईटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्रीमती किरण पालीवाल पत्नी तपेश पुरोहित, पता– एन.एच. 18, एच. पी. पेट्रोल पम्प के पास, ग्राम केलवा, जिला– राजसमन्द, राजस्थान 313334
2. श्रीमती किरण पालीवाल पत्नी तपेश पुरोहित, पता– एच.पी पेट्रोल पम्प के पास, ग्राम केलवा, आबु रोड़, जिला– राजसमन्द राजस्थान 313334 एवं आराजी नं. 1877/1271, बामनटुकरा, ग्राम–केलवा जिला राजसमन्द, राजस्थान 313334 एवं आराजी नं. 401/2, 406/1, रेवन्यु ग्राम केलवा, एच.पी. पेट्रोल पम्प के पास, जिला राजसमन्द राजस्थान।
3. श्री जगदीश चन्द्र पुराहित, निवासी एन.एच.18, एच.पी पेट्रोल पम्प के पास, ग्राम केलवा जिला राजसमन्द, राजस्थान 313334 एवं आराजी नं. 1877/1271, बामनटुकरा, ग्राम–केलवा जिला राजसमन्द, राजस्थान 313334 एवं आरजी नम्बर 401/2, 406/1, रेवन्यू ग्राम – केलवा, एच.पी.पेट्रोल पम्प के पास, जिला राजसमन्द राजस्थान 313334
4. तपेश कुमार पुरोहित, निवासी एन.एच. 18, एच.पी.पेट्रोल पम्प के पास, ग्राम केलवा जिला राजसमन्द, राजस्थान 313334 एवं आराजी नं. 1877/1271, बामनटुकड़ा, ग्राम–केलवा जिला राजसमन्द राजस्थान 313334 एवं आराजी नम्बर 401/2 406/1, रेवन्यु ग्राम केलवा, एच.पी.पेट्रोल पम्प के पास, जिला राजसमन्द राजस्थान।

– ऋणी व सहऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 07/2023**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर ने दिनांक 15.02.2023 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण खाता संख्या 918030000396838 के द्वारा 40,00,000/– अक्षरे चालीस लाख रूपये, 918060000396855 के द्वारा 55,00,000/– अक्षरे पच्चपन लाख रूपये,	

न्यायालय जिला कलक्टर

91906000359686 के द्वारा 50,00,000/– अक्षरे पचास लाख रूपये, 92006005108658 के द्वारा 20,00,000/– अक्षरे बीस लाख रूपये कुल रूपये 1,65,00,000 अक्षरे एक करोड पैंसठ लाख रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति – ऋण की सुविधा के एवज ऋणी/सहऋणी द्वारा एक सम्पत्ति आराजी नं. 1877/1271, बामनटुकरा, ग्राम–केलवा जिला राजसमन्द, राजस्थान 313334 एवं आराजी नं. 401/2, 406/1, रेवन्यु ग्राम केलवा, एच.पी. पेट्रोल पम्प के पास, जिला राजसमन्द जिसका क्षेत्रफल 1538 वर्गमीटर को बंधक रखा था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 29.09.2022 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक के अप्रार्थी से उक्त ऋण खाता संख्या 91803000039683, 91806000039685, 91906000359686, 92006005108658 कुल रूपये 1,12,76,498.48 अक्षरे एक करोड बारह लाख छियत्तर हजार चार सौ अठानवे रूपये अडतालिस पैसे दिनांक 28.09.2022 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 11.10.2022 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतें पर प्रेषित किया जो भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट अनुसार दिनांक 13.10.2022 को प्राप्त हो गया। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। प्रार्थी बैंक उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 11.10.2022 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट की प्रति पेश की गई। उसके बावजुद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण आराजी नं. 1877/1271, बामनटुकरा, ग्राम–केलवा जिला राजसमन्द, राजस्थान 313334 एवं आराजी नं. 401/2, 406/1, रेवन्यु ग्राम केलवा, एच.पी. पेट्रोल पम्प के पास, जिला राजसमन्द जिसका क्षेत्रफल 1538 वर्गमीटर है।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)